

फर्द अहकाम

सुविता बनाम मंगला

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चक्रपुर

केस संख्या 251/70/8

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
12.12.2012		<p>पत्रावती पेशाठमी। पक्षपारात वकील उपस्थित हो पक्षपारात वकील की वध्य कुरैजात रिपोर्ट पर गौर डिपा व कुरैजात रिपोर्ट एवं पत्रावती का परीक्षण किया गया तो कुरैजात रिपोर्ट सामान मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुसार होने के कारण यका वादी मुताबिक कुरैजात रिपोर्ट अनुसार डिडी डिपा जाता है। निर्णय व डिडी के कुरैजात रिपोर्ट पूरे रहेंगे व निर्णय के पार रहेंगे।</p>	
		<p><i>(Signature)</i> उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)</p>	